मेसर्स स्वतंत्र लैंड एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली बनाम हरियाणा राज्य (बी.आर.तुली, नयायाधिपती)

पूर्ण पीठ

बल राज तुली, एस.एस. संधावालिया और सी.जी. सूरी, नयायाधिपती के सामने,

मेसर्स स्वतंत्र लैंड एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड,

नई दिल्ली,-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य,-प्रतिवादी।

1969 का सिविल संशोधन क्रमांक 202।

27 फ़रवरी 1974.

भूमि अधिग्रहण अधिनियम (1894 का प्रथम) - धारा 18 और 31 - धारा 18 के तहत कलेक्टर द्वारा जिला न्यायाधीश को दिया गया संदर्भ - जिला न्यायाधीश - क्या ऐसे संदर्भ को उसके गुण-दोषों पर विचार किए बिना समय से बाधित मानकर खारिज कर सकते हैं - उपधाराएं भूमि अधिग्रहण (पंजाब संशोधन) अधिनियम (1962 का XVII और 1954 का II) द्वारा धारा 18 में 2(ए), 2(बी) और (3) जोड़े गए - का प्रभाव।

निर्धारित किया गया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 18 के तहत समय के भीतर संदर्भ के लिए आवेदन करना, सक्षम न्यायालय द्वारा उस आवेदन के निर्णय के लिए अनिवार्य शर्त है। आवेदक कलेक्टर से अपने आवेदन का संदर्भ बनाने की मांग कर सकता है लेकिन ऐसी कोई प्रक्रिया प्रदान नहीं की गई है जिसके अनुसार कलेक्टर को ऐसे आवेदन पर निर्णय लेना होगा। यदि वह संबंधित सभी पक्षों को उचित नोटिस देने के बाद, अधिनियम की धारा 31 के साथ पठित धारा 18 के प्रावधानों के आलोक में न्यायिक रूप से मामले का निर्णय करता है, तो उसके निर्णय को, यदि संशोधन के तहत चुनौती नहीं दी जाती है, पीड़ित पक्ष द्वारा धारा 18(3) अंतिम हो जाएगी और जिला न्यायाधीश, अधिनियम के तहत, पुनर्न्याय या रोक के सिद्धांत पर मामले में फिर से जाने से रोक दिया जाएगा। लेकिन यदि कलेक्टर द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं दिया जाता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि मामले का निर्णय उसके द्वारा अंतिम रूप से किया गया है, और यह प्रतिवादी के लिए जिला न्यायाधीश के समक्ष आग्रह करने के लिए खुला होगा कि आवेदक को अपने आवेदन पर सुनवाई करने का कोई अधिकार नहीं है और अवार्ड में संशोधन इसलिए किया

गया क्योंकि उसने अपना आवेदन समय के भीतर दाखिल नहीं किया या कि उसने अवार्ड स्वीकार कर लिया था और इसलिए, वह पीड़ित व्यक्ति नहीं है या कि वह इच्छुक व्यक्ति नहीं है या कि आवेदन में उसके द्वारा आग्रह किए गए मामले ऐसे हैं जैसा कि अधिनियम की धारा 18(1) में बताई गई बातों के अंतर्गत नहीं आता है। जब धारा 18(1) उसमें बताए गए चार मामलों के न्यायनिर्णयन के लिए निर्धारित करती है और किसी अन्य के लिए नहीं, तो यह केवल आवेदक को अपने आवेदन में किसी अन्य मुद्दे पर विरोध करने से रोकता है। यह प्रतिवादी को उसके लिए खुले किसी भी आधार पर आवेदन को विफल करने के लिए कोई आपत्ति उठाने से नहीं रोकता है। जहां कलेक्टर किसी दावेदार के आवेदन पर जिला न्यायाधीश को यह प्रश्न निर्धारित किए बिना कि आवेदन समय के भीतर है या नहीं और संदर्भ देने से पहले राज्य को कोई नोटिस दिए बिना संदर्भ देता है, राज्य संदर्भ के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण दायर नहीं कर सकता है, इसलिए, संदर्भ की सुनवाई करने वाले जिला न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र में यह माना जाता है कि इसे इस आधार पर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है कि यह अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (2) के तहत निर्धारित समय से परे कलेक्टर को दिया गया है। धारा 18 की उपधारा (2) में परिसीमा अवधि निर्धारित करने में विधानमंडल का उद्देश्य कलेक्टर को यह सूचित करना था कि यदि कोई आवेदन निर्धारित समय से परे किया जाता है तो उसे जिला न्यायाधीश को नहीं भेजना चाहिए। कानून का कोई भी प्रावधान, जो एक सक्षम प्राधिकारी को एक आवेदन प्राप्त करने और उस पर कार्रवाई करने के लिए अधिकृत करता है यदि यह समय के भीतर नहीं किया जाता है, तो उस प्राधिकारी को इसे अस्वीकार करने और यदि ऐसा है तो उस पर कार्रवाई नहीं करने की अंतर्निहित शक्ति देता है। कलेक्टर को देरी को माफ करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है और इसलिए, समय से परे बनाया गया आवेदन पर किया गया कोई भी संदर्भ अवैध होगा और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं होगा। किसी भी मामले में देरी को माफ करने का सवाल ही नहीं उठता है, जहां कलेक्टर आवेदन को निर्णय के लिए जिला न्यायाधीश के पास अग्रेषित करते समय कभी भी मामले पर अपने न्यायिक दिमाग का उपयोग नहीं करता है। ऐसे मामले में आवेदन के प्रतिवादी, जिसे संदर्भ देने से पहले कलेक्टर द्वारा नोटिस नहीं दिया गया है, को आवेदन की रखरखाव पर आपत्ति करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, जिसका निर्णय उसके लिए पूर्वाग्रह हो सकता है। इसलिए जिला न्यायाधीश ऐसे संदर्भ को समय से बाधित मानकर खारिज कर सकता है।

(पैरा 11, 17 और 18)

मेसर्स स्वतंत्र लैंड एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली बनाम हरियाणा राज्य (बी.आर.तुली, नयायाधिपती)

मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए माननीय श्री न्यायमूर्ति एच.आर. सोढ़ी द्वारा 30 सितंबर, 1969 को मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेजा गया। माननीय श्री न्यायमूर्ति डी.के. महाजन और माननीय श्री न्यायमूर्ति एच.आर. सोढ़ी की खंडपीठ ने मामले के निर्णय के लिए 11 अगस्त, 1971 को मामले को फिर से पूर्ण पीठ के पास भेज दिया। माननीय श्री न्यायमूर्ति बल राज तुली, माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.एस. संधावालिया और माननीय श्री न्यायमूर्ति सी.जी. सूरी की पूर्ण पीठ ने अंततः 21 फरवरी, 1974 को मामले का फैसला किया।

श्री नाथू राम अग्रवाल, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, गुड़गांव के 27 दिसंबर, 1968 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत याचिका, जिसमें संदर्भ के अनुसार प्रतिवादी के पक्ष में और याचिकाकर्ता के खिलाफ मुद्दा संख्या 3 का निर्णय लिया गया है। समय-बाधित, मुद्दे संख्या 1 और 2 पर निर्णय लेने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। संदर्भ समय-बाधित होने के कारण खारिज कर दिया जाता है और पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

याचिकाकर्ता के लिए रूप चंद, वकील और वाई.के. शर्मा, वकील।

प्रतिवादी की ओर से डी.एस. लांबा, उप महाधिवक्ता हरियाणा।

निर्णय

बी.आर.तुली, न्यायाधीश - (1) इस याचिका को एक डिवीजन द्वारा दिए गए आदेश के अनुसरण में निर्णय के लिए पूर्ण पीठ को भेजा गया है।

इस न्यायालय की खंडपीठ ने ***हरि कृष्ण खोसला बनाम पेप्सू राज्य***[1] मामले में पिछली डिवीजन बेंच के फैसले की शुद्धता पर संदेह जताया है।

(2) मामले के तथ्य यह हैं कि तत्कालीन पंजाब राज्य ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (इसके बाद इसे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 4 और 6 के तहत गांव एत्मादपुर, तहसील बल्लभगढ़,

[1] J.L.R. ,(1958)1 Pb, 854

मेसर्स स्वतंत्र लैंड एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली बनाम हरियाणा राज्य (बी.आर.तुली, नयायाधिपती)

जिले गुड़गाँव में स्थित कुछ भूमि के अधिग्रहण के लिए अधिसूचनाएं जारी कीं, एक सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, अर्थात् आगरा नहर के साथ आरडी-30,000 से आरडी-79,200 तक गुड़गांव नहर फीडर का निर्माण। भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने 18 मार्च, 1966 को बल्लभगढ़ में उपस्थित व्यक्तियों के लिए अपने अवार्ड की घोषणा की और अधिनियम की धारा 12(2) के तहत अन्य मालिकों को नोटिस जारी किए गए जो उपस्थित नहीं थे। याचिकाकर्ता-कंपनी ने दावा किया कि उसने 20 मार्च, 28 जून, 11 नवंबर, 1963 और 26 मार्च, 1966 को पंजीकृत बिक्री-विलेखों के माध्यम से भूमि मालिकों से अधिग्रहित भूमि के कुछ टुकड़े खरीदे थे। कंपनी के प्रबंध निदेशक को सूचना मिली कि गांव के जमींदार गुड़गांव कैनाल फीडर के लिए सरकार द्वारा अधिग्रहीत जमीन के संबंध में पलवल के उपमंडल अधिकारी (नागरिक) से मुआवजा लेने के लिए बल्लभगढ़ जा रहे हैं। वह बल्लबगढ़ गए और उन्हें पता चला कि पूरी जमीन, जो कंपनी ने विभिन्न विक्रय-पत्रों द्वारा खरीदी थी, अभी भी भूस्वामियों के नाम पर है और कंपनी के नाम पर उत्परिवर्तन प्रभावी नहीं हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप मुआवजा नहीं मिला है। उस भूमि के संबंध में दर्ज मालिकों को भुगतान किया जाना था। उन्होंने जमीन पर कंपनी के स्वामित्व का यह तथ्य उपमंडल अधिकारी (नागरिक) के संज्ञान में लाया। हालाँकि, याचिकाकर्ता-कंपनी को 30 अगस्त, 1967 को उस भूमि के संबंध में मुआवजा दिया गया था, जिसे उसके नाम पर परिवर्तित कर दिया गया था, जिसे कंपनी के प्रबंध निदेशक ने विरोध के तहत प्राप्त किया था। उस भूमि के संबंध में मुआवजा, जिसे याचिकाकर्ता-कंपनी ने खरीदने का आरोप लगाया था और जिसके संबंध में उत्परिवर्तन नहीं हुआ था, उप-विभागीय अधिकारी (नागरिक) द्वारा राजकोष में जमा किया गया था और किसी को भी भुगतान नहीं किया गया था। इसके बाद कंपनी ने अधिनियम की धारा 18 के तहत जिला न्यायाधीश को संदर्भ देने के लिए 5 अक्टूबर, 1967 को उप-विभागीय अधिकारी (सिविल) के समक्ष एक आवेदन दायर किया। याचिकाकर्ता-कंपनी द्वारा अपने आवेदन में उठाई गई सभी आपत्तियों का विवरण देना आवश्यक नहीं है। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि दावा पहले से भुगतान किए गए मुआवजे की वृद्धि और भूमि के संबंध में बढ़ी हुई दर पर मुआवजे के भुगतान के लिए किया गया था, जिसे कंपनी ने खरीदा था लेकिन जिसके संबंध में उत्परिवर्तन प्रभावी नहीं हुआ था। कलेक्टर के रूप में कार्य करते हुए उपमंडल अधिकारी ने अधिनियम की धारा 19 के तहत निर्णय के लिए आवेदन को जिला न्यायाधीश के पास भेज दिया। जिला न्यायाधीश ने वह याचिका अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को सौंपी, जिन्होंने अधिनियम की धारा 20 के तहत हरियाणा राज्य को नोटिस जारी किया। हरियाणा राज्य ने विभिन्न आपत्तियां उठाईं, उनमें से एक यह थी कि संदर्भ समय के अनुसार वर्जित था। पक्षों की दलीलों पर, विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने निम्नलिखित मुद्दे तय किए: -

मेसर्स स्वतंत्र लैंड एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली बनाम हरियाणा राज्य (बी.आर.तुली, नयायाधिपती)

(2) भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन के समय अर्जित भूमि का बाजार मूल्य क्या था?

(3) विवादित भूमि पर दावेदार द्वारा क्या सुधार किये गये और यदि हाँ तो उसका क्या प्रभाव पड़ा?

(4) क्या संदर्भ समय से वर्जित है?

(5) राहत.

(3) विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने प्रतिवादी राज्य के पक्ष में और याचिकाकर्ता के खिलाफ मुद्दा संख्या 3 का फैसला किया और अन्य मुद्दों पर कोई निर्णय दर्ज किए बिना, 27 दिसंबर, 1968 को याचिका को समय-बाधित के रूप में खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता कंपनी ने उस आदेश के विरुद्ध यह पुनरीक्षण याचिका दायर की है और इस पीठ के समक्ष निर्णय का मुद्दा यह है कि क्या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा याचिका को समयबाधित मानकर खारिज करना सही था?

(4) याचिकाकर्ता की ओर से संक्षिप्त तर्क यह है कि अधिनियम जिला न्यायाधीश को कलेक्टर द्वारा एक बार संदर्भ दिए जाने के बाद उसे इस आधार पर अस्वीकार करने की कोई शक्ति नहीं देता है कि कलेक्टर द्वारा दिया आवेदन, समय से बाधित था। जिला न्यायाधीश का अधिकार क्षेत्र केवल भूमि की माप, मुआवजे की राशि, जिन व्यक्तियों को यह देय है और धारा 18 (1) में उल्लिखित इच्छुक व्यक्तियों के बीच मुआवजे के बंटवारे के संबंध में आपत्तियों का निर्णय लेने तक विस्तारित है। अधिनियम, और कोई अन्य आपत्ति उठाई या तय नहीं की जा सकती। इस प्रस्ताव के लिए निर्भरता मुख्य रूप से ***हरि कृष्ण खोसला के मामले (1) (सुप्रा)*** में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले पर रखी गई है, जिसमें यह माना गया था कि ***राज्य सचिव बनाम भगवान प्रसाद और अन्य***[2] मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त विचार सही था और इसका पालन किया जाना चाहिए। विद्वान न्यायाधीशों ने भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 66 के प्रावधानों से एक समानता भी निकाली और कहा: -

"यह अच्छी तरह से स्थापित है कि संदर्भ पर उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार उन प्रश्नों तक सीमित है जो अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा संदर्भित हैं और उच्च न्यायालय ऐसे प्रश्नों पर

[2] I.L.R. (1929)52 All. 96—A.I.R. 1929 All. 769.

मेसर्स स्वतंत्र लैंड एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली बनाम हरियाणा राज्य (बी.आर.तुली, नयायाधिपती)

निर्णय नहीं ले सकता है जिन्हें संदर्भित नहीं किया गया है ***- बी.एम. कुठियाला बनाम सी.आई.टी.***[3] के मामले में इसी तरह, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत न्यायालय, धारा 18 के तहत कलेक्टर द्वारा किए गए संदर्भ से अपना क्षेत्राधिकार प्राप्त करता है और कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो न्यायालय को संदर्भ के पीछे जाने और उन प्रश्नों का निर्धारण करने में सक्षम बनाता है जो नहीं हैं इसका उल्लेख किया गया है। वर्तमान मामले का निर्णय पूर्वोक्त सिद्धांत के आलोक में भी किया जा सकता है, क्योंकि कलेक्टर ने सीमा के प्रश्न को न्यायालय को नहीं भेजा है और इस प्रकार, न्यायालय के पास सीमा के प्रश्न पर निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि विद्वान जिला न्यायाधीश का यह विचार कि कलेक्टर द्वारा संदर्भ दिए जाने के बाद, सीमा के प्रश्न पर निर्णय लेना उनके लिए खुला था, अस्थिर और अनुचित था।"

(5) यह निर्णय इस धारणा पर आधारित है कि अधिनियम की धारा 19 के स्पष्ट प्रावधानों से, यह स्पष्ट है कि कलेक्टर को न्यायालय की जानकारी के लिए केवल ऐसे मामलों को बताना होगा जो खंड (ए) से (डी) में निर्धारित हैं और कलेक्टर को इस प्रश्न के संबंध में कोई जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है कि क्या धारा 18 के तहत आवेदन उस धारा की उप-धारा (2) के प्रावधानों का अनुपालन करता है। केवल ऐसे मामले जो अधिनियम की धारा 18(1) में उल्लिखित हैं, कलेक्टर द्वारा जिला न्यायालय को भेजे जा सकते हैं, अन्य कोई नहीं। प्रश्न, क्या संदर्भ के लिए आवेदन अधिनियम की धारा 18(2) के परंतुक में निर्धारित सीमा अवधि के भीतर दायर किया गया था, धारा 18(1) या धारा 19 में उल्लिखित मामला नहीं है और इसलिए, जिला न्यायाधीश या उसके द्वारा निर्णय इसे संदर्भित नहीं कर सकता है। यह एक ऐसा मामला है जिस पर कलेक्टर को स्वयं निर्णय लेना है और क़ानून में ऐसा कोई प्रावधान या मशीनरी प्रदान नहीं की गई है जिसके द्वारा न्यायालय को ऐसा कोई संदर्भ दिया जा सके। आगे यह देखा गया है कि अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो न्यायालय को, स्पष्ट शब्दों में या निहितार्थ से, संदर्भ के पीछे जाने और यह देखने का अधिकार देता है कि कलेक्टर ने अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में सही या गलत काम किया है या नहीं। संदर्भ बनाना कलेक्टर के विशेष क्षेत्राधिकार और अधिकार के भीतर एक कार्य है, जो अपने विवेक का उपयोग करके गलती कर सकता है लेकिन वह सही या गलत का निर्णय लेने का हकदार है। अधिनियम के तहत कलेक्टर जो कार्य करता है वह प्रशासनिक है न कि न्यायिक।

[3] A.I.R. 1957 Pb. 284.

मेसर्स स्वतंत्र लैंड एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली बनाम हरियाणा राज्य (बी.आर.तुली, नयायाधिपती)

परिणामस्वरूप, न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए संदर्भ के पीछे नहीं जा सकता कि आवेदन, जिसके अनुसरण में यह किया गया है, परिसीमा के भीतर था या नहीं। धारा 18 संदर्भ बनाने के लिए कलेक्टर को एकमात्र प्राधिकारी बनाती है। धारा 19 के तहत उसे जो बयान देना है, उसमें सीमा का प्रश्न उन मामलों में से एक नहीं है जिसे उसे बताना आवश्यक है। जैसे ही एक कलेक्टर संदर्भ देता है और न्यायालय की जानकारी के लिए धारा 19 में उल्लिखित व्यक्तियों के लिए निर्धारित विभिन्न मामलों को बताता है, न्यायालय को एक मंत्रिस्तरीय कार्य करना होता है, अर्थात्, धारा 20 में उल्लिखित प्रकृति का नोटिस जारी करना होता है। अधिनियम में ऐसा कोई अन्य प्रावधान नहीं है जो न्यायालय को इस सवाल की दोबारा जांच करने का अधिकार देता है कि निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन करने के सवाल पर कलेक्टर का आदेश सही है या नहीं। न्यायालय का क्षेत्राधिकार अधिनियम की धारा 18(1) में उल्लिखित किसी अवार्ड पर चार आपत्तियों में से किसी एक पर विचार करने तक ही सीमित है, जिसे संदर्भ के लिए लिखित आवेदन में उठाया गया हो सकता है और उस पर फैसला सुनाया जा सकता है। विद्वान न्यायाधीशों का बहुत सम्मान करते हुए, मैं उस फैसले में दी गई किसी भी धारणा से सहमत होने में असमर्थ हूं।

(6) अधिनियम के तीन खंड, जिनका संदर्भ ***हरि कृष्ण खोसला (सुप्रा)*** ने अपनी सहजता में दिया है, इस प्रकार पढ़ें: -

"18(1) कोई भी इच्छुक व्यक्ति, जिसने अवार्ड स्वीकार नहीं किया है, कलेक्टर को लिखित आवेदन द्वारा, यह मांग कर सकता है कि मामले को कलेक्टर द्वारा न्यायालय के निर्धारण के लिए भेजा जाए, चाहे उसकी आपत्ति माप के संबंध में हो भूमि, मुआवजे की राशि, जिन व्यक्तियों को यह देय है, या इच्छुक व्यक्तियों के बीच मुआवजे का बंटवारा।

(2) आवेदन में उन आधारों का उल्लेख होगा जिन पर अवार्ड पर आपत्ति ली गई है:

बशर्ते कि ऐसा प्रत्येक आवेदन किया जाएगा, -

(ए) यदि इसे बनाने वाला व्यक्ति उस समय कलेक्टर के समक्ष उपस्थित था या उसका प्रतिनिधित्व करता था जब उसने अपना अवार्ड दिया था, कलेक्टर के अवार्ड की तारीख से छह सप्ताह के भीतर;

(बी) अन्य मामलों में, धारा 12, उपधारा (2) के तहत कलेक्टर से नोटिस प्राप्त होने के छह सप्ताह के भीतर, या कलेक्टर के अवार्ड की तारीख से छह महीने के भीतर, जो भी अवधि पहले समाप्त हो जाएगी।

मेसर्स स्वतंत्र लैंड एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली बनाम हरियाणा राज्य (बी.आर.तुली, नयायाधिपती)

(2-ए) उप-धारा (1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार, जहां भूमि का अधिग्रहण संघ के उद्देश्यों के लिए नहीं है और वह धारा 11 के तहत अवार्ड द्वारा अनुमत मुआवजे की राशि पर विचार कर सकती है। अत्यधिक होने पर, कलेक्टर से लिखित आवेदन द्वारा अपेक्षा करें कि मुआवजे की राशि के निर्धारण के लिए मामला उसके द्वारा न्यायालय को भेजा जाए।

स्पष्टीकरण.- भाग VII के तहत भूमि के किसी भी मामले में, इस उप-धारा के तहत मांग राज्य सरकार द्वारा कंपनी के अनुरोध पर की जा सकती है, जो ऐसी मांग के परिणामस्वरूप होने वाली सभी लागत का भुगतान करने का वचन देती है।

(2-बी) मांग में उन आधारों का उल्लेख होगा जिन पर अवार्ड पर आपत्ति की गई है और अवार्ड की तारीख के छह महीने के भीतर की जाएगी।

(3) इस धारा के तहत किसी आवेदन पर कलेक्टर द्वारा दिया गया कोई भी आदेश उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण के अधीन होगा, जैसे कि कलेक्टर सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अर्थ में उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय थे, 1908 (1908 का वि.)

(19) (1) संदर्भ देते समय, कलेक्टर, न्यायालय की जानकारी के लिए, अपने हस्ताक्षर से लिखित रूप में बताएगा, -

(ए) भूमि की स्थिति और विस्तार, उस पर मौजूद किसी भी पेड़, इमारत या खड़ी फसल का विवरण;

(बी) उन व्यक्तियों के नाम जिनके बारे में उसके पास यह सोचने का कारण है कि वे ऐसी भूमि में रुचि रखते हैं;

(सी) धारा 5 और 17, या उनमें से किसी एक के तहत क्षति के लिए दी गई राशि और भुगतान या निविदा की गई राशि, और धारा 11 के तहत दिए गए मुआवजे की राशि, और

(डी) यदि आपत्ति मुआवजे की राशि पर है, तो वे आधार जिन पर मुआवजे की राशि निर्धारित की गई थी।

(2) उक्त बयान के साथ एक अनुसूची संलग्न की जाएगी जिसमें क्रमशः दिए गए नोटिस और इच्छुक पक्षों द्वारा दिए गए या वितरित किए गए लिखित बयानों का विवरण दिया जाएगा।

(20) इसके बाद अदालतें उस दिन को निर्दिष्ट करते हुए एक नोटिस जारी करेंगी जिस दिन अदालत आपत्ति का निर्धारण करने के लिए आगे बढ़ेगी, और उस दिन अदालत के समक्ष उनकी उपस्थिति का निर्देश देगी, जो निम्नलिखित व्यक्तियों को दी जाएगी, अर्थात्-

मेसर्स स्वतंत्र लैंड एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली बनाम हरियाणा राज्य (बी.आर.तुली, नयायाधिपती)

(ए) आवेदक;

(बी) आपत्ति में रुचि रखने वाले सभी व्यक्ति, सिवाय ऐसे (यदि कोई हो) जिन्होंने दिए गए मुआवजे का भुगतान प्राप्त करने के लिए बिना किसी विरोध के सहमति व्यक्त की है; और

(सी) यदि आपत्ति भूमि के क्षेत्र या मुआवजे की राशि के संबंध में है, तो कलेक्टर।

(7) ***हरि कृष्ण खोसला का मामला (सुप्रा)*** पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2006 के तहत था, जिसमें पंजाब विधानमंडल द्वारा अधिनियम की धारा 18 की उप-धाराओं (2ए), (2बी) और (3) में किए गए प्रावधान शामिल नहीं थे। भूमि अधिग्रहण (पंजाब संशोधन) अधिनियम संख्या 17, 1962 द्वारा अधिनियम में उप-धारा (2-ए) और (2-बी) शामिल किए गए थे, जबकि उप-धारा (3) भूमि अधिग्रहण (पंजाब संशोधन) 1954 का अधिनियम संख्या II। द्वारा जोड़ा गया था। अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (3) अब यह स्पष्ट करती है कि कलेक्टर, संदर्भ के लिए किसी आवेदन पर कोई आदेश पारित करते समय, चाहे वह जिला न्यायाधीश को संदर्भ दे रहा हो या ऐसा करने से इनकार कर रहा हो। एक संदर्भ, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय के रूप में कार्य करता है और उसके आदेश के विरुद्ध सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत उच्च न्यायालय को एक संशोधन प्रदान किया गया है। इसलिए, अब कलेक्टर का कार्य निस्संदेह न्यायिक है। न्यायिक शक्ति की आवश्यक विशेषता यह है कि निर्णय लेने से पहले सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया जाएगा। हालाँकि, अधिनियम की धारा 18 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और व्यवहार में भी कलेक्टर कभी भी दावेदार से प्राप्त आवेदन के बारे में राज्य या अधिग्रहण प्राधिकारी को नोटिस नहीं देता है। कलेक्टर एकपक्षीय रूप से जिला न्यायाधीश को संदर्भित करने या न करने का निर्णय लेता है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि आवेदन की रखरखाव के संबंध में कलेक्टर का निर्णय अंतिम और निर्णायक है, जहां तक जिला न्यायाधीश के न्यायालय का संबंध है, जिसके लिए संदर्भ दिया गया है। यह सच है कि अब संदर्भ आवेदन पर कलेक्टर के निर्णय के खिलाफ पुनरीक्षण दायर किया जा सकता है, लेकिन पीड़ित पक्ष द्वारा ऐसा पुनरीक्षण तभी दायर किया जा सकता है, जब निर्णय उसकी उपस्थिति में किया गया हो या इसकी सूचना दी गई हो। उसे या उसे और बशर्ते आवेदन की सुनवाई की सूचना भी दी गई हो। उप-धारा (3) की अनुपस्थिति में, जिला न्यायाधीश (जिसका अर्थ संदर्भ पर निर्णय लेने के लिए अधिनियम के तहत सशक्त कोई भी न्यायालय होगा) के पास दावेदार द्वारा दायर आवेदन पर प्रतिवादी द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियों पर निर्णय लेने की शक्ति होगी। अधिनियम की धारा 18(1) या आवेदन में बताए गए किसी भी मामले के निर्णय के उसके अधिकार को

मेसर्स स्वतंत्र लैंड एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली बनाम हरियाणा राज्य (बी.आर.तुली, नयायाधिपती)

पराजित करने का आदेश। अधिनियम की धारा 18(1) में चार विशिष्ट मामलों का उल्लेख प्रतिवादी को दावेदार द्वारा किए गए दावे को विफल करने के लिए आवेदन की वैधता पर कोई आपत्ति उठाने से नहीं रोकता है। यह दलील कि संदर्भ के लिए आवेदन कलेक्टर को समय के भीतर नहीं किया गया था, दावेदार के आवेदन को विफल करने के लिए प्रतिवादी को उठाने के लिए खुला होगा। अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (3) में संशोधन का प्रावधान, जैसा कि अब किया गया है, जिला न्यायाधीश को संदर्भ के आदेश के बाद संदर्भ आवेदन की रखरखाव के संबंध में प्रतिवादी द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निर्धारण करने से नहीं रोकता है। प्रतिवादी को किसी निर्णय से बाध्य नहीं किया जा सकता है जो उसकी पीठ पर और उसके संदर्भ के बिना किया गया है क्योंकि यह प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांत ऑडी आल्टरम पार्टम के विपरीत होगा और उसे समय वर्जित आवेदन या ऐसा आवेदन जो किसी अन्य कानूनी आधार पर विचारणीय नहीं है, की सुनवाई पर आपत्ति करने का पूरा अधिकार होगा।

(8) धारा 18 की भाषा में, संदर्भ आवेदन को वैध मानने से पहले निम्नलिखित शर्तें मौजूद हैं: -

(1) कलेक्टर को एक लिखित आवेदन,

(2) ऐसे व्यक्ति द्वारा जो है

(ए) रुचि, और

(बी) जिसने अवार्ड स्वीकार नहीं किया है।

(3) आवेदन में आपत्तियों के आधार अवश्य बताए जाने चाहिए और ये आधार केवल निम्नलिखित से संबंधित हो सकते हैं-

(ए) भूमि की माप,

(बी) मुआवजे की राशि,

(सी) वह व्यक्ति जिसे यह देय है, और

(डी) इच्छुक व्यक्तियों के बीच मुआवजे का बंटवारा।

(4) आवेदन धारा की उपधारा (2) के प्रावधान के तहत निर्धारित समय अवधि के भीतर किया जाना चाहिए।

मेसर्स स्वतंत्र लैंड एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली बनाम हरियाणा राज्य (बी.आर.तुली, नयायाधिपती)

यदि इनमें से किसी भी शर्त की कमी है, तो संदर्भ आवेदन को रखरखाव योग्य नहीं माना जाएगा। वाक्यांश "इच्छुक व्यक्ति" को अधिनियम की धारा 3(बी) में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है: -

"अभिव्यक्ति 'हितबद्ध व्यक्ति' में इस अधिनियम के तहत भूमि के अधिग्रहण के कारण होने वाले मुआवजे में हित का दावा करने वाले सभी व्यक्ति शामिल हैं; और यदि कोई व्यक्ति भूमि को प्रभावित करने वाली सुख सुविधा में रुचि रखता है तो उसे भूमि में रुचि रखने वाला माना जाएगा।"

(9) यदि किसी इच्छुक व्यक्ति को अधिनियम की धारा 31(2) के पहले परंतुक में और दूसरे के तहत प्रदान की गई राशि की पर्याप्तता के विरोध में मुआवजे का भुगतान प्राप्त हुआ है, तो उसे अवार्ड प्राप्त करने वाला माना जाएगा। इसके परंतुक, कोई भी व्यक्ति, जिसने विरोध के अलावा अन्यथा राशि प्राप्त की है, अधिनियम की धारा 18 के तहत कोई भी आवेदन करने का हकदार नहीं है। ***श्रीमती एस. थॉमस बनाम मद्रास के कलेक्टर***[4] मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा यह निर्णय दिया गया था: -

"धारा 18 के तहत एक अवार्ड की स्वीकृति और धारा 31(2) में उल्लिखित सहमति एक ही विचार को दर्शाती है और समान तथ्यों से निकाला गया एक अनुमान है। जब धारा 31 बिना किसी विरोध के रसीद को आगे के दावे करने के आदेश पर रोक लगाने की बात करती है, तो वही मानदंड धारा 18 के निर्माण पर लागू होना चाहिए, और जब स्वीकार किया जाता है कि मालिक ने बिना किसी विरोध के मुआवजा प्राप्त कर लिया है, तो यह माना जाना चाहिए कि उसने अवार्ड स्वीकार कर लिया है।"

(10) इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यदि दावेदार इच्छुक व्यक्ति नहीं है और न ही ऐसा व्यक्ति है जिसने बिना किसी विरोध के अवार्ड स्वीकार कर लिया है, तो वह धारा 18 के तहत संदर्भ के लिए आवेदन करने का हकदार नहीं है और यदि वह ऐसा आवेदन करता है और कलेक्टर इसे न्यायालय को अग्रेषित करता है, न्यायालय उन दो मामलों के संबंध में प्रतिवादी की आपत्ति पर निर्णय लेने के लिए बाध्य होगा और यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रतिवादी द्वारा उठाई गई दलीलें सही हैं, तो उसके पास कोई विकल्प नहीं होगा लेकिन आवेदन को रखरखाव योग्य न मानकर बाहर फेंक दिया जाए।

[4] A.I.R. 1958 Mad. 186.

(11) इसी प्रकार, निर्धारित समय के भीतर संदर्भ के लिए आवेदन करना सक्षम न्यायालय द्वारा उस आवेदन के निर्णय के लिए अनिवार्य शर्त है। आवेदक कलेक्टर से अपने आवेदन का संदर्भ बनाने की मांग कर सकता है लेकिन ऐसी कोई प्रक्रिया प्रदान नहीं की गई है जिसके अनुसार कलेक्टर को ऐसे आवेदन पर निर्णय लेना होगा। यदि वह संबंधित सभी पक्षों को उचित नोटिस देने के बाद, अधिनियम की धारा 31 के साथ पठित धारा 18 के प्रावधानों के आलोक में न्यायिक रूप से मामले का निर्णय करता है, तो यह कहा जा सकता है कि उसके निर्णय को, यदि धारा 18(3) के तहत संशोधन में पीड़ित पक्ष द्वारा चुनौती नहीं दी गई है, अंतिम हो जाएगा और जिला न्यायाधीश को, अधिनियम के तहत, पुनर्न्याय या रोक के सिद्धांत पर मामले में फिर से जाने से रोक दिया जाएगा। लेकिन यदि कलेक्टर द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं दिया जाता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि मामले का निर्णय उसके द्वारा अंतिम रूप से किया गया है, और यह प्रतिवादी के लिए जिला न्यायाधीश के समक्ष आग्रह करने के लिए खुला होगा कि आवेदक को अपने आवेदन पर सुनवाई करने का कोई अधिकार नहीं है और अवार्ड में संशोधन इसलिए किया गया क्योंकि उसने समय के भीतर अपना आवेदन दाखिल नहीं किया या उसने अवार्ड स्वीकार कर लिया था और इसलिए, वह एक पीड़ित व्यक्ति नहीं है या कि वह इच्छुक व्यक्ति नहीं है या आवेदन में उसके द्वारा आग्रह किए गए मामले ऐसे हैं जैसा कि अधिनियम की धारा 18(1) में बताई गई बातों के अंतर्गत नहीं आता है। जब धारा 18(1) उसमें बताए गए चार मामलों के न्यायनिर्णयन के लिए निर्धारित करती है और किसी अन्य के लिए नहीं, तो यह केवल आवेदक को अपने आवेदन में किसी अन्य मुद्दे पर आंदोलन करने से रोकता है; यह प्रतिवादी को उसके लिए खुले किसी भी आधार पर आवेदन को विफल करने के लिए कोई आपत्ति उठाने से नहीं रोकता है। मौजूदा मामले में, कलेक्टर ने याचिकाकर्ता के आवेदन का संदर्भ सीमा के प्रश्न का निर्धारण किए बिना और संदर्भ देने से पहले हरियाणा राज्य को कोई नोटिस दिए बिना जिला न्यायाधीश को भेज दिया था। इसलिए, हरियाणा राज्य अधिनियम की धारा 18(3) के तहत उस आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण दायर नहीं कर सका। इसलिए, यह अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र में था। संदर्भ को सुनते हुए, यह मानने के लिए कि इस आधार पर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है कि यह अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (2) के तहत निर्धारित समय से परे कलेक्टर को दिया गया था।

मेसर्स स्वतंत्र लैंड एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली बनाम हरियाणा राज्य (बी.आर.तुली, नयायाधिपती)

(12) अब मैं इस मुद्दे पर विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों की जांच करने के लिए आगे बढ़ता हूं। ***सुखबीर सिंह और अन्य बनाम भारत के राज्य सचिव***[5] मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा कि जहां आवेदन अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है, वहां जिला न्यायाधीश को उस संदर्भ को तय करने का अधिकार क्षेत्र का कोई लाभ नहीं मिलता है। उस मामले में, आवेदन में ऐसा कोई अनुरोध नहीं था कि अवार्ड का मामला जिला न्यायाधीश के निर्धारण के लिए भेजा जाए। केवल इतना अनुरोध किया गया था कि मुआवजे के संबंध में मामले को अंतिम निर्णय तक स्थगित कर दिया जाए क्योंकि भूमि अधिग्रहण में सरकारी कार्रवाई की औचित्य या वैधता एक सक्षम न्यायालय द्वारा तय की गई थी। आवेदन में उल्लेख किया गया था कि कलेक्टर द्वारा दी गई मुआवजे की राशि कम है और स्वीकार्य नहीं है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम पर भरोसा करते हुए, ***सरकार बनाम नानू कोठारे और अन्य***[6] के मामले में, यह माना गया कि एक संदर्भ बनाने में कलेक्टर सरकार की ओर से केवल सरकार का एक एजेंट है और कानून की आवश्यकताओं को माफ करने का हकदार नहीं है। किसी आवेदन पर कार्रवाई करने में कलेक्टर का कृत्य जिला न्यायाधीश को यह मानने से नहीं रोकेगा कि यह कानून के अनुपालन में नहीं था। ऐसे में यह फैसला याचिकाकर्ता के खिलाफ है।

(13) ***राज्य सचिव बनाम भगवान प्रसाद और अन्य (2) (सुप्रा)*** में, एक डिवीजन बेंच (मुकर्जी और नियामतुल्ला, न्यायाधीश) ने निम्नानुसार कहा: -

"अधिग्रहण के संबंध में अधिसूचना जारी होने के बाद, यह उसका (कलेक्टर का) काम है कि वह मूल्य का आकलन करे और इसे भूमि के मालिक को पेश करे। यदि मालिक प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता है और भूमि के मूल्य के न्यायिक निर्धारण के लिए कलेक्टर को 'न्यायालय' का संदर्भ देने की आवश्यकता है, तो कलेक्टर को यह देखना होगा कि मामले की परिस्थितियों में, यह उसका कर्तव्य है या नहीं , जैसा कि संदर्भ बनाने के लिए अधिनियम की धारा 18 में निर्धारित किया गया है। यदि आवेदन समय से परे है, तो कलेक्टर को संदर्भ देने की आवश्यकता नहीं है। यह निर्धारित करने के लिए कि आवेदन समय के भीतर है या नहीं, कलेक्टर को तथ्यों पर विचार करना होगा और निर्णय लेना होगा। यदि वह निर्णय लेता है कि आवेदन समय के भीतर है और अन्यथा क्रम में है, तो वह एक संदर्भ देगा। यह निर्णय करना पूरी तरह से उस पर और अकेले उस पर निर्भर है कि वह कोई संदर्भ देगा या नहीं। जब वह संदर्भ देता है, तो वह इसे सरकार की ओर से

[5] A.I.R. 1926 All. 766.
[6] I.L.R. (1906)30 Bom. 275.

बनाता है। संदर्भ देने के बाद, मेरी राय में, यह कहना कलेक्टर या राज्य सचिव के लिए खुला नहीं है कि संदर्भ गलत तरीके से दिया गया था, हालांकि ऐसा कहने का आधार यह हो सकता है कि आवेदन द्वारा मालिक को देर हो गई। 'न्यायालय' कलेक्टर के खिलाफ अपील पर नहीं बैठती है और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 'न्यायालय' को संदर्भ के पीछे जाने और यह देखने के लिए कि क्या कलेक्टर ने सही या गलत काम किया है, स्पष्ट शब्दों में या निहितार्थ से कोई अधिकार नहीं देता है। मैं इस तथ्य से अवगत हूं कि कभी-कभी सीमा की याचिका, जैसा कि इस मामले में है, कलेक्टर या राज्य सचिव की ओर से की जाती है, लेकिन, मेरी राय में, ऐसी याचिका को लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ”

(14) विद्वान न्यायाधीशों के प्रति अत्यंत सम्मान के साथ, कारण भ्रामक है। यह माना जाता है कि संदर्भ देने से पहले कलेक्टर न्यायिक रूप से अपना दिमाग लगाता है और सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद निर्णय लेता है कि आवेदन समय के भीतर है और अन्यथा क्रम में है। अधिनियम की धारा 18 या किसी अन्य धारा द्वारा यह कर्तव्य कलेक्टर पर नहीं डाला गया है। कलेक्टर संदर्भ देने से पहले इस मुद्दे को निर्धारित कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। इसलिए, कोर्ट को प्रतिवादी की आपत्ति का निर्धारण करने के अधिकार क्षेत्र से वंचित नहीं किया जा सकता है कि संदर्भ आवेदन सक्षम नहीं था क्योंकि इसे समय से परे दायर किया गया था। दूसरा कारण यह है कि धारा 18 ऐसा नहीं कहती कलेक्टर सरकार की ओर से संदर्भ देता है, वह भी अधिनियम में किसी भी प्रावधान द्वारा समर्थित नहीं है। कलेक्टर आवेदन प्राप्त करने और अधिनियम की धारा 19 में बताए गए मामलों पर जानकारी प्रदान करके निर्णय के लिए न्यायालय को अग्रेषित करने के लिए अधिनियम के तहत नामित एक वैधानिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है। जहां तक पंजाब और हरियाणा राज्यों का संबंध है, अधिनियम की धारा 18 में उप-धारा (2-ए) और (2-बी) जोड़कर मामला अब स्पष्ट कर दिया गया है, जिसके तहत राज्य सरकार यदि कलेक्टर अधिनियम की धारा 11 के तहत कलेक्टर द्वारा दी गई राशि को अत्यधिक मानता है तो मुआवजे की उचित राशि के निर्धारण के लिए कलेक्टर को न्यायालय को संदर्भ देने की भी आवश्यकता हो सकती है। ऐसा आवेदन अवार्ड मिलने के 6 महीने के भीतर करना होगा।

(15) अधिनियम के कुछ अन्य प्रावधानों के तहत कार्य करते समय, कलेक्टर अर्ध-न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम के तहत नामित एक वैधानिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है। ऐसी धाराएँ 5-ए हैं, जिसके तहत वह भूमि के अधिग्रहण में रुचि रखने वाले किसी भी

मेसर्स स्वतंत्र लैंड एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली बनाम हरियाणा राज्य (बी.आर.तुली, नयायाधिपती)

व्यक्ति द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निर्धारण करता है, और धारा 9 से 15, जिसके तहत वह भूमि मालिकों और अन्य इच्छुक व्यक्तियों को देय मुआवजे का पालन करने के बाद निर्धारित करता है। उसमें निर्धारित प्रक्रिया धारा 4 और 6 के तहत अधिसूचना प्रकाशित करते समय और धारा 16 और 17 के तहत कब्जा लेते समय और धारा 31 के तहत भुगतान करते समय, कलेक्टर को सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करने वाला कहा जा सकता है। यह बात तब सच नहीं है जब वह अधिनियम की धारा 5-ए, 9 से 15 और 18 के तहत कार्य करता है। इन धाराओं के तहत वह अधिनियम के तहत नामित एक वैधानिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है, जिसे इच्छुक व्यक्तियों से दावे आमंत्रित करने और साक्ष्य लेने के बाद न्यायिक रूप से विभिन्न मामलों का निर्धारण करना होता है। जहां तक पंजाब और हरियाणा का संबंध है, अब धारा 18 में उप-धारा (3) को शामिल करके यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अधिनियम की धारा 18 के तहत आवेदनों पर निर्णय लेते समय कलेक्टर एक न्यायालय के रूप में कार्य करता है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि कलेक्टर सरकार की ओर से संदर्भ देता है और उसके एजेंट के रूप में कार्य करता है। इसलिए, मैं अत्यंत सम्मान के साथ उस फैसले में शामिल टिप्पणियों से असहमत हूं।

(16) इस फैसले का पालन उस न्यायालय की एक अन्य डिवीजन बेंच (मुकर्जी और बेनेट, न्यायाधीश) ने ***सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाम भगवान प्रसाद***[7] में किया। चूँकि कोई नया कारण नहीं दिया गया है, इसलिए इसमें किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। ***पन्ना लाई और अन्य बनाम कलेक्टर, एटा***[8] मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का फैसला इस मुद्दे पर सहायक नहीं है। उस मामले में, कलेक्टर ने आवेदन को अस्वीकार कर दिया था और इस आधार पर वांछित संदर्भ देने से इनकार कर दिया था कि आवेदन समय से बाधित था। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें प्रार्थना की गई थी कि कलेक्टर के आदेशों को सर्टिओरीरी रिट द्वारा इस आधार पर रद्द कर दिया जाए कि आवश्यकता पड़ने पर जिला न्यायाधीश को संदर्भ देने से इनकार करने का उनके पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। अधिनियम की धारा 18 द्वारा ऐसा करना। उस याचिका को ख़ारिज कर दिया गया और इसे (शीर्ष-नोट के अनुसार) इस प्रकार रखा गया: -

"संदर्भ बनाने के लिए कलेक्टर की शक्तियां असीमित नहीं हैं। धारा 18 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन, जो संदर्भ की शक्ति के प्रयोग से पहले की शर्तें हैं, उस शक्ति को लागू करने से

[7] A.I.R. 1932 All. 597.

[8] A.I.R. 1959 All. 576

मेसर्स स्वतंत्र लैंड एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली बनाम हरियाणा राज्य (बी.आर.तुली, नयायाधिपती)

पहले आवश्यक है। अनुभाग द्वारा उसे प्रदत्त अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से पहले, कलेक्टर यह देखने के लिए बाध्य है कि क्या आवश्यक शर्तों का अनुपालन किया गया है, और यदि उनका अनुपालन नहीं किया गया है, तो वह क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। निर्धारित समय के भीतर आवेदन करना अनुभाग में निर्धारित शर्तों में से एक है, यदि आवेदन समय के भीतर नहीं किया जाता है, तो कलेक्टर आवेदन को अक्षम मानकर अस्वीकार कर सकता है और संदर्भ देने से इनकार कर सकता है।"

मामला यह था कि क्या जिला न्यायाधीश इस आधार पर संदर्भ को अस्वीकार कर सकता है कि संदर्भ के लिए आवेदन समय से परे किया गया था, यह न्यायालय के समक्ष नहीं था और इस पर निर्णय नहीं लिया गया था। हमारे संज्ञान में लाया गया इलाहाबाद उच्च न्यायालय की नवीनतम पूर्ण पीठ का निर्णय ***कलेक्टर, नैनी ताई बनाम श्री अब्दुल करीम***[9] के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य है, जिसमें निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए: -

(1) धारा 18 को समझदारी से तैयार नहीं किया गया है। इसमें कलेक्टर को संदर्भ देने की आवश्यकता वाला कोई प्रावधान नहीं है। न केवल यह बताने का कोई प्रावधान नहीं है कि किन परिस्थितियों में उसे संदर्भ देना चाहिए या नहीं करना चाहिए या नहीं देना चाहिए या नहीं, बल्कि ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं है जिसमें उसके संदर्भ देने का कोई संदर्भ हो। जब ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई कलेक्टर केवल तभी संदर्भ दे सकता है जब कुछ परिस्थितियाँ मौजूद हों या जब कुछ परिस्थितियाँ मौजूद हों तो वह संदर्भ नहीं बना सकता, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसका संदर्भ बनाना किसी के अस्तित्व या अनुपस्थिति के कारण अवैध है।

(2) क्या कोई आवेदन निर्धारित समय के भीतर किया गया है, यह एक प्रश्न है और क्या निर्धारित समय की समाप्ति के बाद किए गए आवेदन पर कानूनी रूप से कोई संदर्भ दिया जा सकता है, यह एक और प्रश्न है और कोई भी प्रावधान बाद वाले को पूर्व से नहीं जोड़ता है। कोई भी किसी संदर्भ को केवल इस आधार पर अवैध नहीं ठहरा सकता कि जिस आवेदन पर यह किया गया था वह निर्धारित समय की समाप्ति के बाद प्रस्तुत किया गया था। वैधानिकता कानून का मामला है और अधिनियम में समय-बाधित आवेदन पर संदर्भ को रोकने के लिए कानून का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

[9] A.I.R. 1963 AU. 556.

मेसर्स स्वतंत्र लैंड एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली बनाम हरियाणा राज्य (बी.आर.तुली, नयायाधिपती)

(3) किसी जिला न्यायाधीश को किसी संदर्भ पर सुनवाई करते हुए यह अधिकार क्षेत्र प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है कि यह प्रश्न निर्धारित किया जाए कि यह कानूनी रूप से उससे किया गया था या नहीं या इस आधार पर इसे निर्धारित करने से इनकार कर दिया जाए कि यह एक समय-बाधित आवेदन पर किया गया था। धारा 23 से 26 तक यह भी स्पष्ट है कि एक जिला न्यायाधीश को केवल अधिगृहीत भूमि के लिए दिए जाने वाले मुआवजे की राशि निर्धारित करना है और इसे एक अवार्ड में शामिल करना है। वह एक अवार्ड बनाने के लिए बाध्य है, उसके पास अवार्ड देने से इनकार करने का कोई विकल्प नहीं है। यह कहना कि वह मुआवज़े की राशि निर्धारित करने से इनकार कर सकता है और इस आधार पर अवार्ड देने से इंकार कर सकता है कि संदर्भ उसे एक समय-बाधित आवेदन पर दिया गया था, धारा 23 से 26 में विधायिका द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा के विपरीत होगा।

(4) जब कलेक्टर एक संदर्भ देता है तो उसके पास स्वाभाविक रूप से अधिकार क्षेत्र की कमी नहीं होती है, भले ही संदर्भ के लिए आवेदन समय से बाधित हो सकता है और संदर्भ अमान्य नहीं है और जिला न्यायाधीश द्वारा इसे इस तरह नहीं माना जा सकता है। जिला न्यायाधीश संदर्भ को केवल तभी अनदेखा कर सकता है जब वह अमान्य हो, अन्यथा वह इसकी सुनवाई के लिए आगे बढ़ने के लिए बाध्य है।

(17) इन आधारों पर यह माना गया कि धारा 18 के तहत एक संदर्भ में, जिला न्यायाधीश इस सवाल पर नहीं जा सकता कि संदर्भ के लिए आवेदन अधिनियम की धारा 18(2) द्वारा निर्धारित समय के भीतर कलेक्टर को नहीं दिया गया था। मैं फिर से सम्मान के साथ कहता हूं कि ऊपर बताए गए कारण सही नहीं हैं। धारा 18 की उपधारा (2) में परिसीमा अवधि निर्धारित करने में विधानमंडल का उद्देश्य कलेक्टर को यह सूचित करना था कि यदि कोई आवेदन निर्धारित समय से परे किया जाता है तो उसे जिला न्यायाधीश को नहीं भेजना चाहिए। यह कानून का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है कि कानून का कोई भी प्रावधान, जो एक सक्षम प्राधिकारी को एक आवेदन प्राप्त करने और उस पर कार्रवाई करने के लिए अधिकृत करता है यदि वह समय के भीतर किया जाता है, तो उस प्राधिकारी को उसे अस्वीकार करने की अंतर्निहित शक्ति देता है, न कि उसे अस्वीकार करने की। यदि यह समय से परे बनाया गया है तो उस पर कार्रवाई करें। कलेक्टर को देरी को माफ करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है और इसलिए, समय-बाधित आवेदन पर किया गया कोई भी संदर्भ अवैध होगा और अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होगा। धारा 18 में उप-धारा (3) को शामिल करने के बाद, यह तर्क दिया जा सकता है कि कलेक्टर को, धारा 18 के तहत आवेदनों पर

मेसर्स स्वतंत्र लैंड एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली बनाम हरियाणा राज्य (बी.आर.तुली, नयायाधिपती)

निर्णय लेने के लिए एक सिविल न्यायालय का गठन किया गया है और न्यायालय के अधीनस्थ बनाया गया है, इसमें भी निवेश किया गया है। परिसीमा अधिनियम की धारा 29 में प्रावधान के मद्देनजर, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत देरी को माफ करने की शक्ति के साथ। ***हजारा सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य***[10] मामले में न्यायाधीश महाजन ने यह मान लिया कि कलेक्टर के पास समय बढ़ाने की शक्ति है जैसा कि उनकी निम्नलिखित टिप्पणियों से स्पष्ट है: -

"कलेक्टर के पास पर्याप्त कारण के लिए सीमा की अवधि बढ़ाने की निस्संदेह शक्ति है और यदि वह धारा 18 के तहत आवेदन सीमा के बाहर होने पर संदर्भ देना चुनता है, तो उसे देरी को माफ कर दिया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में यह उस न्यायालय के लिए खुला नहीं है, जिसका संदर्भ दिया गया है, कि वह कलेक्टर के फैसले पर विचार कर सके क्योंकि वहां न्यायालय का कार्य संदर्भ का उत्तर देना है।"

(18) इन टिप्पणियों से पता चलता है कि कलेक्टर ने इस निर्णय पर पहुंचने में अपने न्यायिक दिमाग का इस्तेमाल किया है कि आवेदन समय के भीतर था या नहीं और देरी को माफ करने के लिए कोई मामला बनाया गया था या नहीं, लेकिन तत्काल मामले में ऐसा कोई सवाल नहीं उठता है। निर्णय के लिए आवेदन को न्यायालय में अग्रेषित करते समय कलेक्टर ने मामले में कभी भी अपने न्यायिक दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। किसी भी मामले में, किसी आवेदन के प्रतिवादी, जिसे संदर्भ देने से पहले कलेक्टर द्वारा नोटिस नहीं दिया गया है, को आवेदन की रखरखाव पर आपत्ति करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, जिसका निर्णय उसके लिए पूर्वाग्रह हो सकता है। किसी आवेदन की वैधता या रखरखाव पर विभिन्न आपत्तियाँ हो सकती हैं-

(1) कि आवेदक ने अवार्ड स्वीकार कर लिया है और इसलिए, उसे आवेदन करने और अधिनियम की धारा 31(2) के दूसरे प्रावधान में दिए गए मुआवजे को बढ़ाने के लिए कहने का कोई अधिकार नहीं है, या

(2) उनके द्वारा संदर्भ हेतु कलेक्टर को दिया गया आवेदन समय से परे था; या

(3.) कि आवेदक इच्छुक व्यक्ति नहीं है; या

(4.) कि आवेदन अवार्ड बनने के बाद नहीं बल्कि उससे पहले किया गया है, या

[10] 1972 P.L.R.374

मेसर्स स्वतंत्र लैंड एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली बनाम हरियाणा राज्य (बी.आर.तुली, नयायाधिपती)

(5.) कि अधिनियम की धारा 18(1) में निर्दिष्ट चार के अलावा कुछ मामलों को न्यायनिर्णयन के लिए आवेदन में शामिल किया गया है।

(19) जिला न्यायाधीश का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रतिवादी द्वारा उठाई गई ऐसी सभी आपत्तियों पर निर्णय दे, जो 'कानून के तहत उसके लिए खुले किसी भी आधार पर आवेदन को विफल करने में रुचि रखता है। इसलिए, आवेदन में उल्लिखित मामलों पर निर्णय देने से पहले यह मानना आवश्यक है कि कार्यवाही कानून के अनुसार शुरू की गई थी, जिसका अर्थ है कि अधिनियम की धारा 18 में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन किया गया है। समय के भीतर आवेदन करना ऐसी पूर्व शर्तों में से एक है। यदि उस शर्त का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो जिला न्यायाधीश के पास उस आवेदन पर आगे बढ़ने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

(20) ***भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, महासू बनाम जानकी दास और अन्य***[11] में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त दृष्टिकोण का पालन किया गया ***सरकार और नानू कोठारे और अन्य (सुप्रा)*** के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को प्राथमिकता देते हुए।

(21) मद्रास उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने ***श्री वेंकटेश्वरस्वामी वरू, बेजवाड़ा ट्रस्टी रामपिला अप्पलस्वामी और एक अन्य बनाम उप-कलेक्टर, बेजवाड़ा और एक अन्य***[12] द्वारा ***राज्य सचिव बनाम भगवान प्रसाद और अन्य (सुप्रा)*** और ***राज्य सचिव बनाम भागियोन प्रसाद (सुप्रा)*** मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णयों का पालन किया। और आयोजित: -

"यह कलेक्टर का कर्तव्य है कि वह संदर्भ देने से पहले उसके सामने मौजूद सामग्रियों पर निर्णय ले कि उसे संदर्भ बनाना चाहिए या नहीं, और यदि वह संदर्भ बनाने का निर्णय लेता है और बनाता है तो यह भूमि अधिग्रहण न्यायालय के लिए इसके पीछे जाना खुला नहीं है। जब भूमि अधिग्रहण अधिकारी संदर्भ देने का निर्णय लेता है और करता है तो उच्च न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के लिए हस्तक्षेप करना संभव नहीं है।"

---

[11] A.I.R. 1967 H.P. 26.
[12] A.I.R. 1943 Mad. 327.

मेसर्स स्वतंत्र लैंड एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली बनाम हरियाणा राज्य (बी.आर.तुली, नयायाधिपती)

एक अन्य स्थान पर यह देखा गया है:-

"धारा 18 के तहत एक संदर्भ के मामले में, यह उस पक्ष का आवेदन नहीं है जो सिविल कोर्ट को अधिकार क्षेत्र देता है, बल्कि यह भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा दिया गया संदर्भ है। एक आवेदन दिया जा सकता है और फिर भी संदर्भ नहीं दिया जा सकता है। नतीजतन, यदि आवेदन वैध रूप से नहीं किया गया था, तो यह केवल यह संकेत देगा कि संदर्भ पर्याप्त आधार के बिना किया गया था। लेकिन इससे यह किसी संदर्भ से कम नहीं हो जाएगा जिससे न्यायालय को संदर्भित प्रश्न की जांच करने का अधिकार क्षेत्र मिल जाएगा।"

(22) इस फैसले को ***काना नयना नारायणप्पा नायडू बनाम राजस्व प्रभागीय अधिकारी, शिवकाशी***[13] मामले में अदालत की डिवीजनल बेंच द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसमें निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए थे: -

(1) धारा 18 के तहत कलेक्टर द्वारा संदर्भ के लिए आवश्यक अनिवार्य शर्त यह है कि ऐसे संदर्भ के लिए आवेदन उस धारा के प्रावधानों के अनुसार और उस धारा के परंतुक में निर्दिष्ट अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। यदि उन प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो कोई भी वैध आवेदन नहीं हो सकता है और यदि ऐसा कोई आवेदन मौजूद नहीं है, तो सकारात्मक संदर्भ अस्तित्व में असमर्थ है।

(2) किसी भी न्यायालय को उन मामलों पर निर्णय देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है जो कानून की आवश्यकताओं के अनुरूप उसके समक्ष नहीं आते हैं। यह पता लगाना न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति के अंतर्गत है कि जो मामला उसके समक्ष आता है, वह उचित रूप में है और विशेष क़ानून की आवश्यकताओं के अनुसार है। यदि अदालत को अमान्य संदर्भों पर निर्णय लेने के लिए कहा जाता है तो उसे अपनाने के लिए मजबूर किया जाने वाला निष्क्रिय रवैया कानून या कारण पर आधारित नहीं हो सकता है।

(3) इस प्रकार, यह न्यायालय की क्षमता के भीतर है, जिसके लिए कलेक्टर द्वारा धारा 18 के तहत एक संदर्भ दिया गया है, लेकिन कलेक्टर द्वारा किए गए संदर्भ को भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) परंतुक (ए) में निर्धारित सीमा की अवधि से परे अस्वीकार करना है।

(4) न्यायालय का संदर्भ देते समय, कलेक्टर केवल सरकार के एजेंट के रूप में कार्य नहीं करता है। वह किसी भी अन्य वैधानिक प्राधिकरण की तरह ही विधायी अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त

[13] A.I.R. 1955 Mad. 23.

मेसर्स स्वतंत्र लैंड एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली बनाम हरियाणा राज्य (बी.आर.तुली, नयायाधिपती)

शक्तियों के भीतर कार्य करता है। उस अधिनियम के ढांचे के भीतर उसे न्यायिक रूप से कार्य करना होगा और यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो ऐसे अधिनियम के परिणाम को कानूनी नहीं कहा जा सकता है।

(23) **ए. के. सुब्रमण्यम चट्टियार बनाम कोयंबटूर के कलेक्टर**[14] मामले में उस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच का पूर्व निर्णय:-

(1) भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 के तहत एक कलेक्टर द्वारा किए गए संदर्भ में, न्यायालय को परिसीमन के प्रश्न पर जाने की शक्ति मिल गई है, और भी अधिक जहां कलेक्टर ने स्वयं परिसीमन के प्रश्न को संदर्भ के भाग के रूप में शामिल किया है संदर्भ के साथ अपने पत्र में और प्रश्न का निर्णय स्वयं नहीं किया है।

(2) भूमि अधिग्रहण अधिकारी एक न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करता है, न कि केवल सरकार के एजेंट के रूप में।

इसलिए, मद्रास हाई कोर्ट का मानना याचिकाकर्ता के खिलाफ और प्रतिवादी के पक्ष में है।

(24) ***गुलाम मैह्युद्दीन और अन्य बनाम राज्य सचिव***[15] मामले में पंजाब मुख्य न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा: -

"सीमा की आपत्ति को माफ करना कलेक्टर के लिए खुला नहीं है, और न्यायालय के लिए यह मानना हमेशा खुला है कि संदर्भ के लिए कलेक्टर को दिया गया आवेदन धारा 18 और 19 के तहत संदर्भ का आधार नहीं बन सकता है, क्योंकि यह समय की बाधा थी।"

(25) ***अब्दुल सत्तार और अन्य बनाम माउंट हमीदा बीबी***[16] मामले में लाहौर उच्च न्यायालय (पाकिस्तान) की पूर्ण पीठ द्वारा भी यही दृष्टिकोण दोहराया गया है, और यह माना गया है कि न्यायालय भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत कार्य कर रहा है। विशेष क्षेत्राधिकार वाला एक न्यायाधिकरण होने के नाते, यह देखना उसका कर्तव्य है कि उस अधिनियम के तहत संदर्भ देने के

[14] A.I.R. 1946 Mad. 184.
[15] A.I.R. 1914 Lah. 394.
[16] A.I.R. 1950 Lah. 220.

लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे दिया गया है और संदर्भ उस मामले से संबंधित है जिसे उस अधिनियम के तहत संदर्भित किया जा सकता है। विद्वान न्यायाधीशों ने ***महादेव कृष्ण पारकर बनाम अलीहक के मामलातदार***[17] मामले में टिप्पणियों को मंजूरी दे दी कि चूंकि कलेक्टर के पास 'कुछ निर्दिष्ट शर्तों पर संदर्भ' देने की शक्ति थी, इसलिए न्यायालय स्वयं को संतुष्ट करने के लिए बाध्य था कि उसके द्वारा किया गया संदर्भ कलेक्टर ने उन शर्तों का अनुपालन किया ताकि न्यायालय को संदर्भ सुनने का अधिकार क्षेत्र मिल सके, क्योंकि यदि संदर्भ अधिनियम का अनुपालन नहीं करता, तो न्यायालय उस पर विचार नहीं कर सकता था।

(26) जहां तक बंबई उच्च न्यायालय का संबंध है, मामले पर सबसे पहले ***सरकार और नानू कोठारे और अन्य (सुप्रा)*** के मामले में न्यायाधीश चंदावरकर ने विचार किया था और अधिनियम की धारा 18 में शर्तों का विश्लेषण करने के बाद, इसे माना गया था अंतर्गत: -

"ये अस्तित्व में आने के लिए कलेक्टर द्वारा संदर्भ के लिए पार्टी के अधिकार के लिए अधिनियम द्वारा निर्धारित शर्तें हैं। ये वे स्थितियाँ हैं जिनके अधीन कलेक्टर की संदर्भ देने की शक्ति है। ये वे शर्तें भी हैं जिन्हें संदर्भ पर विचार करने के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से पहले पूरा किया जाना चाहिए।

थोड़ी देर बाद रिपोर्ट के पृष्ठ 289 पर यह देखा गया है:-

"सरकार के एजेंट के रूप में संदर्भ बनाने का कलेक्टर का अधिकार धारा 18 में निर्धारित वैधानिक शर्तों द्वारा प्रतिबंधित है। दावेदार उन शर्तों और कलेक्टर के अधिकार की प्रतिबंधित प्रकृति की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। वह धारा 18 द्वारा दी गई शक्ति की सीमा से बाहर जाकर सरकार को बाध्य नहीं कर सकता है। यदि वह उनके बाहर कदम रखता है, तो उसकी कार्रवाई अवैध है, और उसकी ओर से कोई भी छूट वैधानिक शर्तों को पूरा करने में दावेदारों की विफलता का प्रायश्चित नहीं कर सकती है। जिसे कानून के अनुसार कलेक्टर से संदर्भ बनाने की मांग करने के उनके अधिकार के अस्तित्व में आने से पहले पूरा करना आवश्यक था।"

[17] A.I.R 1944 Bom. 200

मेसर्स स्वतंत्र लैंड एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली बनाम हरियाणा राज्य (बी.आर.तुली, नयायाधिपती)

(27) विद्वान न्यायाधीश का बहुत सम्मान करते हुए, पहले से बताए गए कारणों से, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि धारा 18 के तहत संदर्भ देते समय, कलेक्टर सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। लेकिन यदि वह ऐसा करता है, तो विद्वान न्यायाधीश द्वारा बताए गए कारण अपरिहार्य हैं।

(28) ***महादेव कृष्ण पारकर बनाम अलीबाग के मामलातदार (सुप्रा)*** में बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा: -

"पहली शर्त यह है कि इच्छुक व्यक्ति जिसने अवार्ड स्वीकार नहीं किया है, उसे लिखित आवेदन देना होगा, दूसरी शर्त आपत्तियों की प्रकृति के बारे में है, और तीसरी शर्त उस समय के बारे में है जिसके भीतर आवेदन किया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि न्यायालय खुद को संतुष्ट करने के लिए बाध्य है कि कलेक्टर द्वारा दिया गया संदर्भ निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करता है, ताकि न्यायालय को संदर्भ सुनने का अधिकार क्षेत्र मिल सके। यह कलेक्टर के निर्णय पर अपील या पुनरीक्षण में बैठने वाले न्यायालय का प्रश्न नहीं है; यह न्यायालय के स्वयं को संतुष्ट करने का प्रश्न है कि अधिनियम के तहत दिया गया संदर्भ वह है जिसे सुनना आवश्यक है। यदि संदर्भ अधिनियम की शर्तों का अनुपालन नहीं करता है, तो न्यायालय उस पर विचार नहीं कर सकता। मुझे यह देखने में स्वयं कुछ कठिनाई हो रही है कि किस सिद्धांत पर न्यायालय को स्वयं को संतुष्ट करने से रोका जा सकता है कि जिस संदर्भ को सुनने के लिए उसे बुलाया गया है, वह एक वैध संदर्भ है।

(29) बॉम्बे हाई कोर्ट की एक अन्य डिवीजन बेंच (चागला, मुख्य न्यायाधीश, और तंडोलकर, न्यायाधीश) ने ***जी जे देसाई बनाम अब्दुल मजीद कादरी और अन्य***[18] में इस मामले पर विचार किया और यह माना गया: -

"संदर्भ देने की कलेक्टर की शक्ति धारा 18 में निर्धारित शर्तों से सीमित है और एक महत्वपूर्ण शर्त प्रावधान में पाई जाने वाली शर्त है। वह परंतुक उस अवधि का उल्लेख करता है जिसके भीतर आवेदन किया जाना है। इसलिए, यदि आवेदन किया गया है, जो समय के भीतर नहीं है, तो कलेक्टर के पास संदर्भ देने की शक्ति नहीं होगी। अपनी शक्तियों की सीमा निर्धारित करने के क्रम में यह स्पष्ट है कि कलेक्टर को यह निर्णय करना होगा कि दावेदारों द्वारा प्रस्तुत आवेदन समय सीमा के भीतर है अथवा नहीं तथा परन्तुक द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करता है अथवा नहीं। यह

[18] A.I.R 151 Bom. 156

मानते हुए कि कलेक्टर का यह विचार गलत है कि वह याचिका की विचारणीयता को ध्यान में रखता है और संदर्भ देने से इनकार करता है, दावेदारों के लिए यह हमेशा खुला रहेगा कि वे अदालत में आएं और अदालत से कलेक्टर को संदर्भ बनाने के लिए बाध्य करें। यदि वे न्यायालय को संतुष्ट करते हैं कि उनका आवेदन समय के भीतर था। धारा 45 (विशिष्ट राहत अधिनियम, 1877) के तहत आवेदन, न्यायालय को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या कलेक्टर अपने वैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहा है, और यदि आवेदन समय के भीतर है तो उसका वैधानिक कर्तव्यों में से एक संदर्भ बनाना है। इसलिए, धारा 45 के तहत याचिका पर निर्णय लेने के लिए, न्यायालय को सीमा के प्रश्न पर विचार करना होगा और यदि कलेक्टर अपने निर्णय में गलत था, तो कलेक्टर द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के विपरीत दृष्टिकोण अपनाना होगा। समान रूप से, यदि कलेक्टर द्वारा कोई संदर्भ दिया गया था जो धारा 18 के तहत उचित संदर्भ नहीं था, तो संदर्भ की वैधता निर्धारित करना न्यायालय का काम होगा क्योंकि किसी संदर्भ को सुनने का न्यायालय का अधिकार क्षेत्र उचित संदर्भ पर निर्भर करता है जो धारा 18 के तहत बनाया जा रहा है, और यदि संदर्भ उचित नहीं है, तो अदालत में इसे सुनने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।"

(30) मैसूर उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने ***गंगाव्वा बनाम उदाचप्पा***[19] मामले में अधिनियम की धारा 18 के अनुरूप हैदराबाद भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों पर विचार किया और कहा: -

"हैदराबाद अधिनियम की धारा 14 में उल्लिखित शर्तें भूमि अधिग्रहण अधिकारी के अधिकार क्षेत्र को सीमित और नियंत्रित करने वाली शर्तें हैं। महत्वपूर्ण शर्तों में से एक यह है कि संदर्भ बनाने के लिए आवेदन अनुभाग में निर्धारित अवधि के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए। भूमि अधिग्रहण अधिकारी मामले में अपने अधिकार क्षेत्र को सीमित और नियंत्रित करने वाली उन शर्तों को नजरअंदाज नहीं कर सकता है और उन मुद्दों पर उसका निर्णय अंतिम नहीं है। यदि अधिनियम में निर्धारित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो उसके द्वारा दिया गया संदर्भ एक अक्षम संदर्भ होगा और भूमि अधिग्रहण न्यायालय, जो एक वैधानिक प्राधिकरण है, के पास संदर्भ के पीछे जाने और इसकी शुद्धता या वैधताजांच करने का अधिकार क्षेत्र है। "

[19] A.I.R. 1964 Mysore 107.

मेसर्स स्वतंत्र लैंड एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली बनाम हरियाणा राज्य (बी.आर.तुली, नयायाधिपती)

(31) केरल उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने भी ***कोचुकुंज पद्मनाभन बनाम केरल राज्य***[20] में इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें यह कहा गया था: -

1. जब भी किसी अधिनियम द्वारा किसी न्यायालय को क्षेत्राधिकार दिया जाता है, और ऐसा क्षेत्राधिकार केवल अधिनियम में निहित कुछ निर्दिष्ट शर्तों पर ही दिया जाता है, तो यह एक सार्वभौमिक सिद्धांत है कि निर्माण और विकास के लिए इन शर्तों का अनुपालन किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि उनका अनुपालन नहीं किया जाता है, तो क्षेत्राधिकार उत्पन्न नहीं होता है।

2. कलेक्टर द्वारा जिला न्यायालय को धारा 18 के तहत एक संदर्भ के मामले में अधिकार क्षेत्र के प्रश्न का निर्णय करने में, जिला न्यायाधीश निश्चित रूप से अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर रहा है, वह केवल स्वयं को संतुष्ट करने के प्राथमिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है। यह कि जिस संदर्भ को सुनने और निर्णय लेने के लिए कहा जाता है वह उस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक वैध और उचित संदर्भ है जिसके तहत इसे बनाया गया है। यह एक बुनियादी और प्रारंभिक कर्तव्य है जिसे कोई भी न्यायाधिकरण संभवतः टाल नहीं सकता।

3. इसलिए, जिला न्यायालय के पास यह निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है कि क्या संदर्भ त्रावणकोर भूमि अधिग्रहण अधिनियम (भारतीय अधिनियम के तहत छह सप्ताह) की धारा 18(2), परंतुक (बी) द्वारा निर्धारित दो महीने से अधिक समय से परे किया गया था और यदि यह पाता है कि यह इस प्रकार बनाया गया था, संदर्भ को खारिज करें।

(32) उस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश (सी.ए. वैद्यलिंगम, नयायाधीश.) ने भी ***इंडिचेरिया सोसा, पुलिप्पारा बनाम राज्य***[21] में एक समान दृष्टिकोण अपनाया और माना कि तथ्य यह है कि कलेक्टर ने समय-बाधित आवेदनों को अग्रेषित किया था। सिविल कोर्ट ने राज्य के तर्क पर विचार करने के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को नजरअंदाज नहीं किया क्योंकि संदर्भ आवेदन सीमा से वर्जित थे। ***एंथोनी डी'सिल्या और अन्य बनाम केरल राज्य जिसका प्रतिनिधित्व सरकार के मुख्य सचिव, त्रिवेन्द्रम***[22] में उस न्यायालय की एक और पूर्ण पीठ, ने किया, ने ***कोचुकुंजु पद्मनाभन बनाम केरल राज्य (20) (सुप्रा)*** में पूर्ण पीठ के दृष्टिकोण को दोहराया और माना कि इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है। रिपोर्ट के पैराग्राफ 4 में इसे निम्नानुसार देखा गया: -

[20] A.I.R. 1963 Ker.3
[21] A.I.R. 1966 Ker. 278.
[22] A.I.R. 1971 Ker. 51

मेसर्स स्वतंत्र लैंड एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली बनाम हरियाणा राज्य (बी.आर.तुली, नयायाधिपती)

"न्यायालय को केवल संदर्भ दिए जाने पर ही क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है, और वह संदर्भ, कहने की आवश्यकता नहीं है, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उचित संदर्भ होना चाहिए। अधिनियम की धारा 20 के तहत केवल इस उद्देश्य के लिए किए गए आवेदन पर एक संदर्भ दिया जा सकता है; और धारा स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि ऐसा प्रत्येक आवेदन उसमें निर्दिष्ट समय के भीतर किया जाएगा। यदि कोई आवेदन समय से बाहर किया जाता है, तो कलेक्टर के पास संदर्भ देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और यदि वह संदर्भ देता है, तो यह, सख्ती से कहें तो, कोई संदर्भ नहीं है, और न्यायालय के पास इस पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।"

(33) इसी तरह का प्रश्न ***राजस्थान राज्य बनाम एल.डी. सिल्या और अन्य***[23] मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के समक्ष उठा। उस मामले में भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने जयपुर राज्य सरकार के मुख्य अभियंता को एक रिपोर्ट दी जिसमें कहा गया कि अधिग्रहित किए जाने वाले निर्माण का मूल्य 7,773-12-0 रुपये था और यह भी कि मालिक कोई भी मुआवजा प्राप्त करने के हकदार नहीं थे, क्योंकि उक्त संपत्ति उन्हें सरकार द्वारा केवल आवासीय उद्देश्यों के लिए दी गई थी। मालिकों ने भूमि अधिग्रहण अधिकारी को कुछ आवेदन देकर मामले को डरहार को संदर्भित करने के लिए कहा, जो किया गया। कार्यवाही के उस चरण में जयपुर भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1943, 31 जुलाई, 1943 को लागू हुआ, और मालिकों द्वारा 18 अगस्त, 1943 को जिला न्यायाधीश को संदर्भ देने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिकारी को एक आवेदन दिया गया था। वह अधिनियम भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने माना कि अवार्ड उनके पूर्ववर्ती द्वारा 12 फरवरी, 1943 को दिया गया था, और मालिकों द्वारा किए गए आवेदन को सीमा की अवधि से रोक दिया गया था। इसके बाद मालिकों ने इस मामले में सरकार का रुख किया और अपने पक्ष में एक आदेश प्राप्त किया जिसमें भूमि अधिग्रहण अधिकारी को मालिकों की इच्छा के अनुसार एक संदर्भ बनाने का निर्देश दिया गया। इसके बाद भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने मामले का पूरा रिकॉर्ड कानून के अनुसार निपटान के लिए जिला न्यायाधीश, जयपुर को भेज दिया। जब मामला जिला न्यायाधीश के सामने आया, तो सरकार ने यह मुद्दा उठाया कि यह कानूनी अवार्ड था और कोई वैध संदर्भ नहीं था जो मुआवजे के सवाल पर निर्णय लेने के लिए जिला न्यायाधीश की अदालत को अधिकार क्षेत्र प्रदान कर सके। विद्वान जिला न्यायाधीश ने उस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यद्यपि अधिनियम की धारा 19 के अनुसार संदर्भ के क्रम में कोई

[23] A.I.R.1957 Raj.44

विवरण नहीं दिया गया था, संदर्भ वास्तव में कानून के तहत किया गया था और उनके पास उन सभी मुद्दों को निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र था जो उनके सामने भड़के हुए थे। माननीय डिस्ट्रिक्ट नयायाधीश द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ अपील में, उच्च न्यायालय ने यह माना था कि इस मुद्दे पर जिला न्यायाधीश द्वारा विचार किया जा सकता है - कि कोई वैध फैसला था या नहीं। उच्च न्यायालय ने पाया यह बिल्कुल भी अवार्ड नहीं है और इसलिए, अधिनियम के तहत कोई संदर्भ नहीं दिया जा सकता है।

इस निर्णय में देखे गए इलाहाबाद, बॉम्बे, कलकत्ता और लाहौर उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों पर चर्चा की गई और इलाहाबाद के दृष्टिकोण पर असहमति व्यक्त की गई। न्यायिक राय के टकराव को फिर से जगत नारायण, नयायाधिपती द्वारा देखा गया। ***लक्ष्मी नारायण बनाम राजस्थान राज्य***[24] **,** और यह रिपोर्ट के पैराग्राफ 8 में देखा गया: -

"जहां तक राजस्थान भूमि अधिग्रहण अधिनियम का सवाल है, इसके प्रावधानों और भारतीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के बीच थोड़ा अंतर है। राजस्थान अधिनियम के तहत एक सरकारी विभाग जिसकी ओर से अधिग्रहण किया जा रहा है, वह भी धारा 18 के तहत संदर्भ के लिए आवेदन कर सकता है। धारा 18 (1) और धारा 18(3) के तहत, संदर्भ के लिए एक आवेदन पर कलेक्टर द्वारा दिए गए किसी भी आदेश के खिलाफ धारा 115, सिविल-प्रक्रिया संहिता के तहत उच्च न्यायालय में एक संशोधन निहित है। इससे पता चलता है कि कलेक्टर धारा 12 के तहत एक अवार्ड दे रहा है इसे राज्य का एजेंट नहीं माना जाता जैसा कि भारतीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत माना जाता है, लेकिन इसे न्यायिक प्राधिकारी माना जाता है। इसके अलावा, मेरी राय में, भले ही कलेक्टर को राज्य का एजेंट माना जाता है , वह एक सार्वजनिक एजेंट है और उसके अधिकार का दायरा भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों द्वारा परिभाषित किया गया है और कलेक्टर के किसी कार्य को राज्य की ओर से नहीं माना जा सकता है यदि वह उसे दिए गए अधिकार से अधिक है। कलेक्टर संदर्भ केवल तभी बना सकता है जब इसे बनाने के लिए आवेदन धारा 18(2) के तहत निर्धारित सीमा के भीतर दायर किया गया हो। यह सच है कि उसे सीमा अवधि से परे किए गए आवेदन पर संदर्भ बनाने से रोकने के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन अधिनियम उसे संदर्भ बनाने का अधिकार केवल तभी प्रदान करता है जब आवेदन निर्धारित समय के भीतर किया जाता है। तदनुसार मेरी राय है कि जहां तक राजस्थान भूमि अधिग्रहण अधिनियम का संबंध है, बॉम्बे का दृष्टिकोण बेहतर है और यह माना जाना चाहिए कि

[24] A.I.R. 1966 Raj. 166

मेसर्स स्वतंत्र लैंड एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली बनाम हरियाणा राज्य (बी.आर.तुली, नयायाधिपती)

जिला न्यायाधीश के पास इस प्रश्न पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है कि क्या कलेक्टर द्वारा दिया गया संदर्भ वैध है या नहीं।"

(34) मैं इन टिप्पणियों से सम्मानजनक सहमत हूं जो सीधे और उपयुक्त रूप से वर्तमान मामले पर लागू होती हैं, क्योंकि अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों को पंजाब और राजस्थान विधानसभाओं द्वारा उप-धाराओं (2ए), (2बी), और (3) को सम्मिलित करके समान शर्तों में संशोधित किया गया है और संशोधित धारा 18 विद्वान न्यायाधीश के समक्ष विचाराधीन थी। यह एकमात्र मामला है जो तत्काल मामले के तथ्यों के साथ सभी चौकों पर है और सीधे मुद्दे पर है।

(35) पटना उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने ***रामदयाल सिंह बनाम बिहार राज्य***[25] में इस मामले पर विचार किया, और रिपोर्ट के पैराग्राफ 17 में आयोजित न्यायिक राय के टकराव पर विचार करने के बाद: -

"पूरे मामले पर विचार करने पर, जैसे कि अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों और विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों पर, यह स्पष्ट होगा कि अधिकांश उच्च न्यायालय इस दृष्टिकोण के पक्ष में हैं कि भूमि अधिग्रहण न्यायाधीश अधिनियम की धारा 18 के तहत एक संदर्भ इस सवाल पर जा सकता है कि क्या संदर्भ के लिए आवेदन अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (2) के तहत निर्धारित समय के भीतर किया गया था। उच्च न्यायालयों के बहुमत के दृष्टिकोण से सहमति में और इलाहाबाद और पंजाब उच्च न्यायालयों के साथ असहमति के संबंध में, मेरी यह भी राय है कि अधिनियम की धारा 18 के तहत कलेक्टर द्वारा संदर्भ का आवश्यक शर्त यह है कि यह उस धारा के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए, जैसे कि, धारा की उप-धारा (2) के दो प्रावधानों द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर, और एक आवश्यक परिणाम के रूप में यह निम्नानुसार है कि यदि भूमि अधिग्रहण न्यायाधीश को लगता है कि उसके समक्ष रखी गई सामग्री से पता चलता है कि आवेदन इस अर्थ में सीमा से वर्जित है कि यह अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) के दो प्रावधानों के तहत निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया था, तो वह संदर्भ पर विचार करने से इनकार कर सकता है और इस आधार पर संदर्भ को अस्वीकार भी कर सकते हैं।"

निर्णय एस. वसीउद्दीन, न्यायाधीश द्वारा लिखा गया था, जिनसे उंटवालिया, न्यायाधीश सहमत थे।

[25] A.I.R. 1969 Pat. 131

मेसर्स स्वतंत्र लैंड एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली बनाम हरियाणा राज्य (बी.आर.तुली, नयायाधिपती)

(36) कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ। (गुहा और आर. सी. मित्तर, न्यायाधीश।) ने ***अनंत राम बनर्जी बनाम राज्य सचिव***[26] में इस मुद्दे पर निम्नलिखित राय व्यक्त की: -

"विशेष न्यायाधीश को अपना अधिकार क्षेत्र कलेक्टर द्वारा धारा 18 के तहत दिए गए संदर्भ से प्राप्त होता है। यदि कलेक्टर द्वारा दिया गया संदर्भ अधिकारेतर है, तो विशेष न्यायाधीश के पास आगे बढ़ने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा और उसे संदर्भ को तत्काल रोक देना चाहिए। यदि विशेष संदर्भ देने की कलेक्टर की शक्ति का प्रश्न विशेष न्यायाधीश के समक्ष उठाया जाता है, तो उसे इसका निर्णय करना होगा। यह इस सिद्धांत पर है कि विशेष न्यायाधीश को यह सवाल तय करना चाहिए कि क्या कलेक्टर ने समय से परे संदर्भ दिया है और यदि उसे ऐसा लगता है, तो आगे बढ़ने के बिना संदर्भ को अस्वीकार कर दें।"

(37) ***स्वामी सुखानंद बनाम समाज सुधार समिति और एक अन्य***[27] मामले में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने उच्च न्यायालयों के बहुमत के दृष्टिकोण को स्वीकार किया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के दृष्टिकोण से असहमति जताई। ***हरि कृष्ण खोसला के मामले में (1) (सुप्रा)*** रिपोर्ट के पैराग्राफ 16 में निम्नलिखित अवलोकन के साथ: -

"इस प्रकार यह मानने के लिए पर्याप्त अधिकार हैं कि एक भूमि अधिग्रहण अदालत एक कलेक्टर द्वारा उसे दिए गए संदर्भ के पीछे जाने और यह निर्धारित करने का हकदार है कि क्या संदर्भ उसके द्वारा उसे दिए गए अधिकार क्षेत्र के दायरे और दायरे में आता है या नहीं। वैधानिक प्रावधान, जिसके तहत संदर्भ दिया जाना बताया गया था। यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि संदर्भ अधिकारातीत है, तो न्यायालय के पास संदर्भ के साथ आगे बढ़ने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा और वह इसे तत्काल खारिज करने के लिए बाध्य है।"

(38) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश, ***विशेष उप-कलेक्टर, भूमि अधिग्रहण, अनंतपुर बनाम के. कोडंडारामचार्लू***[28] ने ***महादेव कृष्ण बनाम अलीबाग के***

[26] A.I.R. 1937 Cal. 680.
[27] A.I.R. 1962 J. & K. 59.
[28] A.I.R. 1965 A.P. 25.

मेसर्स स्वतंत्र लैंड एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली बनाम हरियाणा राज्य (बी.आर.तुली, नयायाधिपती)

मामलतदार (सुप्रा) और मद्रास उच्च न्यायालय ने ***सुब्रमण्यम चेट्टियार बनाम कोयंबटूर के कलेक्टर (सुप्रा)*** और ***नारायणप्पा बनाम राजस्व मंडल अधिकारी (सुप्रा)*** के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च नयायले के दृष्टिकोण को स्वीकार किया और कहा कि जिला न्यायाधीश इस मामले में जा सकते हैं कि क्या कलेक्टर द्वारा दिया गया संदर्भ धारा 18 के अनुसार था या नहीं।

(39) ***शेख मोहम्मद और अन्य बनाम कृषि निदेशक, मध्य प्रदेश***[29] मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने निर्धारित किया :--

"सिविल कोर्ट द्वारा क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए पूर्व शर्त अधिनियम की धारा 18 के तहत एक वैध संदर्भ है।"

पेस्टनजी बनाम मीर मायनूदीन खान[30] में प्रिवी काउंसिल के फैसले में निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा किया गया था।

"जहां भी संसद के किसी अधिनियम द्वारा, या भारत में किसी विनियमन द्वारा (जिसका संसद के अधिनियम के समान प्रभाव होता है) न्यायालय को क्षेत्राधिकार दिया जाता है और ऐसा क्षेत्राधिकार केवल विनियमन में निहित कुछ निर्दिष्ट शर्तों पर ही दिया जाता है, यह एक सार्वभौमिक सिद्धांत है कि अधिकार क्षेत्र बनाने और बढ़ाने के लिए इन शर्तों का अनुपालन किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि उनका अनुपालन नहीं किया जाता है, तो क्षेत्राधिकार में दंगा उत्पन्न होता है।"

(40) दिल्ली उच्च न्यायालय का एक विद्वान एकल न्यायाधीश (वी.एस. देशपांडे, न्यायाधीश) ने ***तारा चंद बनाम भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, (दिल्ली शाहदरा), दिल्ली***[31] में कहा कि धारा 18 के तहत बढ़े हुए मुआवजे का दावा करने का वैधानिक अधिकार तब वर्जित होगा जब इसके लिए आवेदन किया जाएगा। इसे निर्धारित समय के भीतर नहीं बनाया गया है या जब आवेदक को अवार्ड के तहत मुआवजा प्राप्त हुआ है अन्यथा, विरोध एपीडी के तहत वह अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ मांगने का हकदार नहीं होगा। हम विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष विचार के लिए नहीं थे।

---

[29] 1966 M.P.L.J., 433.
[30] (1855) 6 M.I.A. 135.
[31] A.I.R. 1971 Delhi 116.

मेसर्स स्वतंत्र लैंड एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली बनाम हरियाणा राज्य (बी.आर.तुली, नयायाधिपती)

(41) यह मामला ***पंजाब राज्य बनाम एमएसटी क़ैसर जहां बेगम और अन्य***[32] और ***उत्तर प्रदेश राज्य, कलेक्टर, नैनीताल बनाम श्री अब्दुल करीम***[33] के माध्यम से में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दो बार आया, उच्च न्यायालयों में न्यायिक राय के टकराव का मामला देखा गया लेकिन हल नहीं हुआ। बाद वाला मामला ***कलेक्टर, नैनीताल बनाम श्री अब्दुल करीम, (सुप्रा)*** के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले के खिलाफ एक अपील थी।

(42) इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अधिकांश उच्च न्यायालयों की राय है कि यह जिला न्यायाधीश के लिए खुला है कि वह संदर्भ के पीछे जाए और यह निर्धारित करे कि उसे किया गया संदर्भ वैध था या नहीं, अर्थात शर्तें अधिनियम की धारा 18 में निर्धारित मिसाल का अनुपालन किया गया था, जिनमें से एक यह है कि जिला न्यायाधीश के संदर्भ के लिए कलेक्टर को आवेदन निर्धारित समय के भीतर किया जाना चाहिए था। यदि यह समय से परे बनाया गया है और कलेक्टर इसे अस्वीकार नहीं करता है, तो जिला न्यायाधीश प्रतिवादी द्वारा आपत्ति उठाए जाने पर मामले पर फैसला देने के लिए बाध्य होगा और यदि यह पाया जाता है कि कलेक्टर को आवेदन दिया गया है तो संदर्भ को अस्वीकार कर दिया जाएगा। अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) के परंतुक में निर्धारित समय से परे किया गया था। मैं स्वयं को अधिकांश उच्च न्यायालयों द्वारा व्यक्त किए गए उपरोक्त दृष्टिकोण से सम्मानजनक रूप से सहमत पाता हूं और मानता हूं कि ***हरि कृष्ण खोसला के मामले (1) (सुप्रा)*** में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच का फैसला कानून को सही ढंग से निर्धारित नहीं करता है और खारिज कर देता है। मेरी यह भी राय है कि प्रतिवादी की आपत्ति पर निर्णय करते समय, जिला न्यायाधीश संदर्भ के पीछे नहीं जाता है, बल्कि उसकी वैधता और रखरखाव के बारे में प्रतिवादी की आपत्ति का निर्धारण करता है ताकि मुआवज़े की राशि में या किसी अन्य तरीके से अवार्ड में संशोधन या किसी भी वृद्धि के लिए आवेदक के दावे को विफल किया जा सके।

(43) अंत में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि हरियाणा राज्य को अधिनियम की धारा 18(3) के तहत कलेक्टर के आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका दायर

[32] A.I.R. 1963 S.C. 1604.
[33] (1969) II S.C.W.R. 579.

करने का अधिकार था, जो कि लागू था। जिस तारीख को संदर्भ के लिए आवेदन किया गया था और विशिष्ट उपाय प्रदान किया गया था, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश मामले में नहीं जा सकते थे और सीमा के आधार पर आवेदन को अस्वीकार नहीं कर सकते थे। निर्णय के पहले भाग में पहले ही इस मामले से निपटा जा चुका है, यानी, राज्य को नोटिस जारी किए बिना या यह सुने बिना कि आवेदन समय के भीतर था या नहीं, कलेक्टर द्वारा जिला न्यायाधीश को संदर्भ दिया गया था। कलेक्टर ने यह निर्णय नहीं लिया कि एक न्यायालय के रूप में आवेदन करना चाहिए और इसलिए, हरियाणा राज्य अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (3) में दिए गए संशोधन के उपाय का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। उस उपाय का प्रावधान प्रतिवादी द्वारा उठाए जाने पर आपत्ति निर्धारित करने के जिला न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र पर रोक नहीं लगाता है।

(44) मेरी यह भी राय है कि ***हरि कृष्ण खोसला के मामले (सुप्रा)*** में डिवीजन बेंच के विद्वान न्यायाधीश आयकर अधिनियम के तहत आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा एक संदर्भ के सादृश्य पर भरोसा करने में सही नहीं थे। उच्च न्यायालय और मैं सम्मानपूर्वक इस कारण से कहते हैं कि आयकर अधिनियम में ऐसे संदर्भ बनाने के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित है। आवेदक को समय के भीतर सुरक्षा जमा राशि के साथ आवेदन दाखिल करना होता है और विपरीत पक्ष को नोटिस जारी किया जाता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही मामले के बयान और अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश से उत्पन्न कानून के सवालों को निर्णय के लिए उच्च न्यायालय में भेजा जाता है। फिर भी यह उच्च न्यायालय के लिए मामले के बयान पर आपत्ति पर विचार करने के लिए खुला है और यह भी देखने के लिए कि क्या निर्णय के लिए उसके पास भेजा गया कानून का प्रश्न आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश से उत्पन्न हुआ है। यह ***आयकर आयुक्त, मद्रास बनाम आर. आर.एम.एच. एस.एम. सेवुगन उर्फ मणिकावसाकम चेट्टियार***[34] मामले में मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा आयोजित किया गया था।

"यदि ट्रिब्यूनल अनुचित तरीके से या गलत तरीके से क़ानून के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए एक संदर्भ देता है, तो यह न्यायालय मामले के बयान पर आपत्ति पर विचार करने में सक्षम है, और, यदि यह निष्कर्ष पर आता है कि इसे कभी नहीं कहा जाना चाहिए था, यह न्यायालय संदर्भित प्रश्न पर राय व्यक्त करने के लिए बाध्य नहीं है।"

इसलिए, आयकर अधिनियम के तहत संदर्भ की सादृश्यता उपयुक्त या प्रासंगिक नहीं है।

[34] A.I.R.1948 Mad. 418

मेसर्स स्वतंत्र लैंड एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली बनाम हरियाणा राज्य (बी.आर.तुली, नयायाधिपती)

(45) ऊपर दिए गए कारणों से, मुझे इस पुनरीक्षण याचिका में कोई योग्यता नहीं दिखती है जिसे खारिज कर दिया गया है लेकिन पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

एस.एस. संधावालिया, जज-मैं सहमत हूं।

सी. जी. सूरी, न्यायाधीश - मैं सहमत हूं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सृष्टि
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
कुरूक्षेत्र, हरियाणा